

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

**अधिसूचना**

राँची

दिनांक :- 27/12/12

अधि.सं.-01/स्था.(प्रो.)-10-08/2011-7459/ दिनांक 19.12.2012 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियंता(असैनिक/यॉत्रिक) (नियमित/चालू प्रभार) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान पद एवं स्थान से स्थानान्तरित करते हुए उसी रूप में स्तम्भ-04 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

क्रमांक	अभियंता का नाम/ आई.डी./जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रभात कुमार/ 4404/01.02.67/रोहतास	पुनर्वास पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, राँची	प्राक्कलन पदाधिकारी, मुख्य अभियंता कार्यालय, ईचा गालूडीह कम्पलेक्स, जमशेदपुर	
2.	श्री जितेन्द्र कुमार जैसल/ जे 9036/29.06.70/ वाराणसी	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	सहायक अभियंता, केन्द्रीय भण्डार एवं शिविर अवर प्रमंडल सं.-01, चाडिल	नगर विकास विभाग द्वारा सेवा पैवृक विभाग को वापस किए जाने के फलस्वरूप
3.	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव/ जे 9116/19.01.65/कैमूर	सहायक अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल, बेडो (लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची)	प्राक्कलन पदाधिकारी, सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, जमशेदपुर	
4.	श्री जयदेव पंडित/ 3887/10.02.56/भागलपुर	सहायक अभियंता, लघु वितरणी अवर प्रमंडल सं.-01, मानगो (लघु वितरणी प्रमंडल सं.-12, मानगो, जमशेदपुर)	सहायक अभियंता के रूप में सेवा ग्रामीण विकास विभाग को	
5.	श्री गुलाब चन्द्र गुप्ता /जे 4871/20.10.58/ जहानाबाद	सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल सं.-02, तालपहाडी शिविर पाकुड (सिंचाई प्रमंडल पाकुड)	सहायक अभियंता के रूप में सेवा ग्रामीण विकास विभाग को	
6.	श्री वीरेन्द्र प्रसाद यादव/ 3270/01.01.59/सारण	सहायक अभियंता, लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची	सहायक अभियंता के रूप में सेवा ग्रामीण विकास विभाग को	
7.	श्री विनोद पाराशर 3682/05.01.60/राँची	सहायक अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग अंचल सं.-01 राँची	सहायक अभियंता, खरकई नहर अवर प्रमंडल सं.-01, राजनगर	

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :- 7459

राँची, दिनांक :- 27/12/12

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

( रमेश कुमार चौधरी )  
सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :- 7459

राँची, दिनांक :- 27/12/12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची / माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची / सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची / प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर / विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड / सभी संबंधित पदाधिकारी / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब., 7यो., एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित सहायक अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के अन्दर प्रभार नहीं सौंपने पर सहायक अभियंता स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

3. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी, उच्चत पदाधिकारियों का माह जनवरी 2013 का वेतन भुगतान नव पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।

( रमेश कुमार चौधरी )  
सरकार के अवर सचिव (प्र०)